न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी / अपीलार्थी

1. शान्तिलाल पुत्र टीमाजी मीणा, जाति– मीणा, निवासी– सरदारपुरा (मोरली), तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
2. श्रीमती कीकीबाई पत्नि स्वर्गीय लालाराम जी, जाति– मीणा, निवासी–सरदारपुरा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
3. श्रीमती मनीषा मीणा पुत्री लालाराम जी पत्नि नारायणलाल जी, जाति– मीणा, निवासी– माकरोडा, तहसील व जिला– सिरोही
4. दुर्गा पुत्री लालाराम जी, जाति– मीणा, निवासी– सरदारपुरा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
5. अशोक पुत्र लालाराम जी, जाति– मीणा, निवासी– सरदारपुरा, तहसील–शिवगंज, जिला– सिरोही, नाबालिक जरिये कुदरती वली माता श्रीमती कीकीबाई पत्नि स्वर्गीय लालाराम जी, जाति– मीणा, निवासी– सरदारपुरा, तहसील– शिवगंज
6. रणछोड पुत्र लालाराम जी, जाति– मीणा, निवासी– सरदारपुरा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही जरिये कुदरती वली माता श्रीमती कीकीबाई पत्नि स्वर्गीय लालाराम जी, जाति– मीणा, निवासी– सरदारपुरा, तहसील– शिवगंज
7. ताराराम पुत्र टीमाजी मीणा, जाति– मीणा, निवासी– सरदारपुरा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
8. खसाराम पुत्र टीमाजी मीणा, जाति– मीणा, निवासी– सरदारपुरा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
9. ओबाराम पुत्र टीमाजी मीणा, जाति– मीणा, निवासी– सरदारपुरा, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी / प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला– सिरोही
2. मनीषसिंह पुत्र श्री शेरसिंह, जाति– माली गहलोत, निवासी– सुमेरपुर, जिला–पाली

प्रार्थना पत्र संख्याः 79/2021

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम एवं सपठित धारा 14 भारतीय मियाद अधिनियम वास्ते तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 407 दिनांक 03.8.1998 के विरुद्ध धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री महेश शर्मा, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा, प्रत्यर्थी संख्या–2 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या– 1 (एक) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 22 फरवरी, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार, शि[illegible]ार हल्का मोरली का अप्रार्थी/प्रत्यर्थी मनीषसिंह पुत्र शेरसिंह, जाति[illegible]हलोत, निवासी– सुमेरपुर के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण[illegible]त कराने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:49 IST
Reason: SelfAttested

......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत इस न्यायालय में अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 सपठित धारा 14 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी/अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अपील को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस/सम्मन जारी किये गये। अपील व प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या–1 (एक) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या–2 की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह देवडा उपस्थित हुये। प्रकरण में प्रत्यर्थी/अप्रार्थी संख्या–2(दो) की ओर से प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब भी प्रस्तुत नही हुआ।

(3) वकील पक्षकारान की बहस दिनांक 17.01.2023 को सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम सरदारपुरा, पटवार हल्का मोरली में कृषि भूमि खसरा संख्या 253/मिन 01 एवं 254 कुल किता 2 रकबा 43 बीघा 7 बिस्वा आई हुई है जो प्रार्थी संख्या 1 व 7 से 9 के पिता एवं प्रार्थी संख्या 2 से 6 के पूर्वज श्री टीमाजी के खातेदारी कब्जे काश्त की रही है। उक्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में राजस्व रेकर्ड में स्वर्गीय टीमाजी के नाम से दर्ज थी, किन्तु प्रार्थीगण अपने पिता के जीवनकाल से मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। स्वर्गीय टीमाजी व प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति है। मीणा जाति राजस्थान राज्य में अनुसूचित जनजाति में आती है तथा उक्त कृषि भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की होने से संरक्षित कृषि भूमि की श्रेणी में रखा गया है जिसका किसी प्रकार से गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति/संस्था/वित्त/निगम के हक में अन्तरण या हस्तानान्तरण नही किया जा सकता है। उक्त कृषि भूमि पर काश्त करने हेतु स्वर्गीय टीमाजी ने ट्रेक्टर को बैंक में रहन रख कर ऋण प्राप्त किया था जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नही थी। टीमाजी की उक्त भूमि को बैंक द्वारा ऋण वसूली रोडा एक्ट के तहत आदेश क्रमांक 412–17 दिनांक 03.3.1998 के तहत किया तथा जिला कलक्टर, सिरोही से उक्त कृषि भूमि का क्रय प्रमाण पत्र आदेश क्रमांक/97–98/1583 दिनांक 11.2.1998 को जारी करवाकर उक्त कृषि भूमि को नीलामी किया तथा नीलामी अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या–2 (मनीषसिंह) के हक में कर उक्त कृषि भूमि के खातेदार के रुप में अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या–2 का नाम राजस्व रेकर्ड में प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 407 दिनांक 03.8.1998 के द्वारा दर्ज किये जाने से इसके विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रार्थीगण ने विधिक राय हेतु अधिवक्ता से सम्पर्क किया तथा अधिवक्ता की सलाह पर माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, सिरोही के समक्ष दीवान वाद प्रस्तुत किया जो वाद संख्या 62/2012 पर दर्ज किया गया तथा इस वाद के विचारण के दौरान जिला न्यायाधीश, सिरोही के आदेश दिनांक 15.10.2018 के द्वारा माननीय पारिवारिक न्यायालय, सिरोही को अन्तरित किया गया जिस पर माननीय पारिवारिक न्यायालय, सिरोही में दिनांक 30.10.2018 को दीवानी वाद संख्या 44/2018 दर्ज हुआ। माननीय पारिवारिक न्यायालय, सिरोही द्वारा दिनांक 14.2.2020 को आदेश पारित कर विचाराधीन वाद को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया था। जिसकी पालना में माननीय न्यायालय द्वारा वादी शान्तिलाल को विचाराधीन वाद की मूल पत्रावली दिनांक 24.2.2020 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाई गई। माननीय पारिवारिक न्यायालय, सिरोही द्वारा [illegible] जाने पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया ने [illegible] की पत्रावली सक्षम न्यायालय, शिवगंज में प्रस्तुत [illegible] कर दी गई।

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने सद्भाविक रुप से अपने अधिवक्ता के विधिक सलाह अनुसार सम्यक तत्परतापूर्वक उक्त आदेश की पालना में वाद को उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज के न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा उक्त वाद आज भी उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज के समक्ष विचाराधीन है। प्रार्थीगण एवं उसके पिता का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा हक अधिकार एवं काश्त अपने पिता व खातेदार श्री टीमाजी के जीवनकाल तथा उनकी मृत्यु उपरानत भी बहैसियत खातेदार व कब्जे काश्त अनुसार लगातार बिना रुकावट राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की जानकारी में चला आ रहा है तथा आज भी उक्त कृषि भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का ही है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को यह जानकारी भलीभांति रही है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य की खातेदारी कृषि भूमि का किसी गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति/संस्था/वित्त/निगम के हक में अन्तरण या हस्तानान्तरण नही किया जा सका है। यह कि बैंक को पहले ट्रेक्टर की नीलामी करवानी चाहिये थी, लेकिन बैंक द्वारा ट्रेक्टर की नीलामी नही करवाकर स्वर्गीय टीमारामजी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि को रोडा एक्ट में नीलाम करवाया है। जबकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि का गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अन्तरण या हस्तान्तरण नही किया जा सकता है। अनुसूचित जनजाति के सदस्य की कृषि भूमि का गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को अन्तरण या हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 का उल्लंघन है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज के न्यायालय में विचाराधीन वाद की जानकारी हेतु अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि वाद का निस्तारण शीघ्र हो जोयगा जिस पर प्रार्थी खसाराम अपनी अति लालसावशय अन्य अधिवक्ताओं से उक्त लम्बित वाद की पत्रावली का अवलोकन करवाया तो अलग अलग अधिवक्ता की अलग अलग राय प्राप्त हुई। जिससे प्रार्थी खसाराम काफी असमन्जस की स्थिति में आ गया तथा अन्य सभी अधिवक्ता ने प्रार्थी को अनुसूचित जनजाति के सदस्य की खातेदारी भूमि का गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के पक्ष में नामान्तरकरण प्रारम्भतः शून्य एवं विधि विरुद्ध होने से अपील प्रस्तुत कर नामान्तरकरण को निरस्त करवाने की सलाह दी। जिस पर प्रार्थी खसराम दिनांक 28.3.2021 को शिवगंज गया वहां से अधिवक्ताओं से सलाह ली जिन्होनें अपील प्रस्तुत करने की हिदायत दी। जिस पर प्रार्थी खसाराम अपने भाई शान्तिलाल को अन्य अधिवक्ताओं की सलाह से अवगत करवाया तथा प्रार्थी शान्तिलाल अपने भाई द्वारा प्राप्त सलाह से अवगत होने के बाद दिनांक 30.3.2021 को सिरोही आकर अपने अधिवक्ता से मिलकर परामर्श किया व अपने अधिवक्ता को अपील प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया। प्रार्थीगण ने बिना समय व्यतीत किये सम्यक तत्परता बरते हुए अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भावनापूर्ण है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 2016(2)DNJ 532, 2000 AIR(Raj.) 345, 2010(2) DNJ(Raj.) 663 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाकर नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या–2 (मनीष सिंह) के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी मनीष कुमार ने उक्त कृषि भूमि को नीलामी में उच्च बोली लगाकर क्रय किया है और उक्त नीलामी का क्रय प्रमाण पत्र जिला कलक्टर, सिरोही के पत्र क्रमांक/9(4)(29)जिराले/97–98/1583 दिनांक 11.2.1998 के द्वारा जारी किया है तब से उक्त कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या–2 (मनीष सिंह) काबिज काश्त है। नामान्तरकरण [illegible] 407 को जिला कलेक्टर, सिरोही के क्रय प्रमाण पत्र के आधार पर तहसील[illegible], शि[illegible]ज द्वारा दिनांक 03.8.1998 को नियमानुसार स्वीकार किया [illegible] आज भी वैध व प्रभावी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:49 IST
Reason: SelfAttested

....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

है। नामान्तरकरण संख्या 407 दिनांक 03.8.1998 में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही बरती गई है और उक्त नामान्तरकरण पूर्ण रुप से नीलामी बोली के आधार पर दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है। उक्त नीलामी बोली आज भी अस्तित्व होकर वैध व प्रभावी है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.5(42)राज–4/80 दिनांक 01.5.1981 के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा बैंक व सरकारी समितियों को बंधक की गई भूमि का ऋण चुकता नही करने की स्थिति में बैंक द्वारा नीलामी करके उनकी भूमि को गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को बेचने की छूट दी गई थी। इस प्रकार, तत्समय अनुसूचित जाति/जनजाति की कृषि भूमि को बैंक द्वारा नीलामी में गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को बेचने का प्रावधान था एवं इसी प्रावधान के आधार पर ही नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया पूर्ण कर अप्रार्थी संख्या–2 को उक्त कृषि भूमि नीलामी में उच्च बोली के आधार पर प्राप्त हुई है। नीलामी बोली एवं प्रमाण पत्र वैध एवं प्रभावी है जिसे सक्षम न्यायालय अवैध एवं शून्य घोषित नही किया है। प्रार्थीगण को उक्त नीलामी की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रार्थीगण ने अप्रार्थी मनीष कुमार को हैरान व परेशान करने की नियत से अपील करीब 23 वर्ष बाद प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण ने अपील प्रस्तुत करनें में हुए विलम्ब की अवधि के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण नही दर्शाया है तथा विलम्ब की अवधि को कन्डोन किये जाने का प्रार्थना पत्र में कोई युक्तियुक्त कारण व आधार नही दर्शाया है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में धारा 14 मियाद अधिनियम का उललेख किया है उसके अनुसार भी प्रार्थीगण वर्ष 2012 से अलग अलग समय पर कार्यवाही लम्बित की है। प्रार्थीगण को वर्ष 1998 से 2012 तक भी उक्त कार्यवाही जानकारी थी ओर उक्त जानकारी होने के बाद भी इतने वर्षो तक नामान्तरकरण के संबंध में कोई कार्यवाही नही करने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय अपील खारिज किये जाने योग्य है। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसेडिंग है इसके आधार पर किसी के अधिकार उत्पन्न या समाप्त नही होते है तथा प्रार्थीगण द्वारा सहायक कलेक्टर, शिवगंज के न्यायालय में प्रस्तुत वाद लम्बित रहते हुए यह अपील विधि में परिपोषणीय है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब समुचित नही है एवं अपीलार्थी ने अतिशय से विलम्ब से अपील प्रस्तुत की है जो कानूनन परिपोषणीय नही है। अतः प्रार्थी अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र व अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि तहसीलदार, शिवगंज द्वारा ग्राम सरदारपुरा, पटवार हल्का मोरली का अप्रार्थी/प्रत्यर्थी मनीष सिंह पुत्र शेरसिंह, जाति– माली गहलोत, निवासी– सुमेरपुर के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 407 दिनांक 03.8.1998 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 19.7.2021 को अपील प्रस्तुत की गई है, जो 22 वर्ष 11 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। इस विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु अपीलार्थीगण ने भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 व सपठित धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी अपीलार्थीगण ने भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 सपठित धारा 14 के तहत प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र में स्वर्गीय टीमाजी के खातेदारी कृषि भूमि का बैंक द्वारा नीलामी में अप्रार्थी मनीष सिंह को विक्रय किये जाने एवं इस नीलामी में अप्रार्थी मनीष सिंह द्वारा स्वर्गीय टीमाजी की क्रय की गई कृषि भूमि का जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा जारी क्रय प्र[illegible] इस नीलामी व क्रय प्रमाण पत्र के विरुद्ध वर्ष 2012 में माननीय जिल[illegible] सिरोही में सिविल वाद प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख कि[illegible] पिता तथा प्रार्थी

......पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:49 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

संख्या 2 से 4 के पूर्वज स्वर्गीय टीमाजी की मृत्यु कब हुई तथा प्रार्थीगण को स्वर्गीय टीमाजी की खातेदारी कृषि भूमि की बैंक द्वारा की गई नीलामी में अप्रार्थी संख्या– 2 (मनीष सिंह) द्वारा उक्त कृषि भूमि क्रय किये जाने एवं उस नीलामी बोली व जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा जारी क्रय प्रमाण पत्र दिनांक 11.2.1998 के आधार पर अप्रार्थी / प्रत्यर्थी संख्या–2 (मनीष सिंह) के पक्ष में तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 407 दिनांक 03.8.1998 की सर्वप्रथम जानकारी कब हुई? के संबंध में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कोई स्पष्ट अंकन नही किया है। जब बैंक द्वारा स्वर्गीय टीमाजी की खातेदारी कृषि भूमि को वर्ष 1998 में नीलाम किया गया एवं उस नीलामी में अप्रार्थी मनीष सिंह द्वारा स्वर्गीय टीमाजी की क्रय की गई खातेदारी कृषि भूमि का जिला कलक्टर, सिरोही द्वारा जारी क्रय प्रमाण पत्र दिनांक 11.2.1998 एवं इस नीलामी व क्रय प्रमाण दिनांक 11.2.1998 के अनुसरण में तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 407 दिनांक 03.8.1998 के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा वर्ष 2012 से पूर्व कोई कार्यवाही क्यों नही की गई है? यह भी प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नही किया है। प्रार्थीगण ने वर्ष 2012 में उक्त नीलामी व क्रय प्रमाण पत्र तथा नामान्तरकरण की जानकारी होने के बाद भी इतने वर्षो तकं इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत नही की। प्रार्थीगण ने अपीलं प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि के संबंध में भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 व पठित धारा 14 के प्रार्थना पत्र में कोई युक्तियुक्त कारण अंकित नही किया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 सपठित धारा 14 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तद्नुसार अपीलार्थीगण की अपील भी मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:36:49 IST
Reason: SelfAttested